



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 2013/माघ 27, 1934

No. 360]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 2013/MAGHA 27, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

का.आ. 387(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में मेहसाना से भटिण्डा (अजमेर सेक्शन) तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार तलवार, सक्षम प्राधिकारी, मेहसाना-भटिण्डा नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल), 16, कृष्णा विहार, नारायण निवास के पास, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर (राजस्थान) पिन-302015 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तहसील : नसीराबाद		जिला : अजमेर		राज्य : राजस्थान	
क्रम. सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	खापरी	435	00	06	98
		371	00	00	40
2	चाटसरदारपुरा	1103	00	06	80
		1088	00	03	40
		1084	00	00	80
		1029	00	00	40
		959	00	02	00

[फा. सं. एल-14014/8/2012-जीपी]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

S.O.387(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from Mehsana to Bhatinda (Ajmer Section) a pipeline should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Arun Kumar Talwar, Competent Authority, Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network, GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), 16 Krishana Vihar, Near Narayan Niwas, Gopalpura Bye-pass road, Jaipur (Rajasthan) Pin – 302015.

SCHEDULE

TEHSIL : NASIRABAD		DISTRICT : AJMER		STATE : RAJASTHAN	
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	KHAPRI	435	00	06	98
		371	00	00	40
2	CHATSARDARPURA	1103	00	06	80
		1088	00	03	40
		1084	00	00	80
		1029	00	00	40
		959	00	02	00

[F. No. L-14014/8/2012-GP]

A. GOSWAMI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

का.आ. 388(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2280(अ) तारीख 21 सितम्बर, 2012, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 22 सितम्बर, 2012, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में मेहसाना से भटिण्डा (अजमेर सेक्शन) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 19.12.2012 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : नसीराबाद		जिला : अजमेर	राज्य : राजस्थान		
क्रम. सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	खापरी	482	00	07	07
		477	00	10	51
		437	00	03	10
		473	00	01	45
		438	00	05	80
		439	00	06	13
		441	00	00	40
		440	00	04	60
		खसरा सं. 440 और 373 के बीच में	00	01	34
		373	00	02	91
		372	00	14	54
		374	00	00	40
		326	00	14	63
		327	00	19	07
		316	00	04	13
		328	00	03	66
		318	00	07	71
		311	00	05	60
		310	00	05	00
		301	00	10	09
		299/1149	00	00	80
		299	00	05	80
		298	00	05	34
		290	00	06	00

1	2	3	4	5	6
2	चाटसरदारपुरा	288	00	02	67
		289	00	01	00
		285	00	00	40
		287	00	04	54
		1100	00	02	57
		1102	00	06	18
		1099	00	07	73
		1097	00	04	54
		1095	00	03	83
		1094	00	02	27
		1092	00	01	63
		1088	00	04	63
		1085	00	04	58
		1075 (सरकारी भूमि)	00	18	67
		1073 (सरकारी भूमि)	00	02	66
		1074 (सरकारी भूमि)	00	00	80
		1071	00	00	40
		1072	00	02	00
		1044 (सरकारी भूमि)	00	13	22
		1043 (सरकारी भूमि)	00	04	54
		1036 (सरकारी भूमि)	00	01	93
		1035 (सरकारी भूमि)	00	03	06
		1033 (सरकारी भूमि)	00	03	27
		1034 (सरकारी भूमि)	00	00	40
		1032	00	04	60
		1030	00	09	89
		1031 (सरकारी भूमि)	00	01	53
		1022	00	00	40
		1021 (सरकारी भूमि)	00	04	35
		1020	00	13	71
		963 (सरकारी भूमि)	00	12	87
		962 (सरकारी भूमि)	00	00	80
		961	00	00	40
		960	00	07	73
		957	00	03	67
		958 (सरकारी भूमि)	00	01	00
		950 (सरकारी भूमि)	00	06	72
		953	00	00	40

1	2	3	4	5	6
	चाटसरदारपुरा (जारी...)	952	00	00	46
		951	00	01	42
		339 (सरकारी भूमि)	00	95	35

[फा. सं. एल-14014/8/2012-जीपी]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

S.O. 388(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2280(E) dated the 21st September, 2012, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22nd September, 2012, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Rajasthan for transportation of Natural Gas from Mehsana to Bhatinda (Ajmer Section) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 19.12.2012;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : NASIRABAD		DISTRICT : AJMER		STATE : RAJASTHAN	
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	KHAPRI	482	00	07	07
		477	00	10	51
		437	00	03	10
		473	00	01	45
		438	00	05	80
		439	00	06	13
		441	00	00	40
		440	00	04	60
		Inbetween Survey No. 440 & 373	00	01	34
		373	00	02	91
		372	00	14	54
		374	00	00	40
		326	00	14	63
		327	00	19	07
		316	00	04	13
		328	00	03	66
		318	00	07	71
		311	00	05	60
		310	00	05	00
		301	00	10	09
		299/1149	00	00	80
		299	00	05	80
		298	00	05	34
		290	00	06	00
		288	00	02	67
		289	00	01	00
		285	00	00	40
		287	00	04	54

1	2	3	4	5	6
2	CHATSARDARPURA	1100	00	02	57
		1102	00	06	18
		1099	00	07	73
		1097	00	04	54
		1095	00	03	83
		1094	00	02	27
		1092	00	01	63
		1088	00	04	63
		1085	00	04	58
		1075 (G/L)	00	18	67
		1073 (G/L)	00	02	66
		1074 (G/L)	00	00	80
		1071	00	00	40
		1072	00	02	00
		1044 (G/L)	00	13	22
		1043 (G/L)	00	04	54
		1036 (G/L)	00	01	93
		1035 (G/L)	00	03	06
		1033 (G/L)	00	03	27
		1034 (G/L)	00	00	40
		1032	00	04	60
		1030	00	09	89
		1031 (G/L)	00	01	53
		1022	00	00	40
		1021 (G/L)	00	04	35
		1020	00	13	71
		963 (G/L)	00	12	87
		962 (G/L)	00	00	80
		961	00	00	40
		960	00	07	73
		957	00	03	67
		958 (G/L)	00	01	00
		950 (G/L)	00	06	72

1	2	3	4	5	6
	CHATSARDARPURA	953	00	00	40
		952	00	00	46
		951	00	01	42
		339 (G/L)	00	95	35

[F. No. L-14014/8/2012-GP]

A. GOSWAMI, Under Secy.